भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1845

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई परियोजनाएं

1845. श्री डी. के. सुरेश:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत और पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके लिए आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि परियोजनाओं के खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट की गई है और यदि हां, तो सिंचाई परियोजनाओं के खराब प्रदर्शन के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रणालियों को शुरू करना इत्यादि है।

पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक के अंतर्गत वर्ष 2016 के दौरान योजना के तहत शामिल 99 प्राथमिकृत परियोजनाओं के अलावा वर्ष 2017-22 के दौरान किसी भी परियोजना को शामिल किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, वर्ष 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार के दौरान 99 प्राथमिकृत परियोजनाओं के अलावा अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल किए जाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत पांच परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, दिसंबर, 2021 में हिमाचल प्रदेश की रेणुकाजी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना और उत्तराखंड की लखवार (राष्ट्रीय) परियोजना के भी वित्त पोषण की मंजूरी दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के भूजल उप-घटक के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों के दौरान 1,020.54 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि इस अवधि के दौरान, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी की सतही लघु योजना (एसएमआई) उप-घटक के अंतर्गत केंद्रीय सहायता हेतु 3,115.08 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 2,596 योजनाओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में विदर्भ, मराठावाड़ा और शेष महाराष्ट्र के दीर्घकालिक सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए (विशेष पैकेज), राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रि-लाइनिंग और पंजाब की शाहपुर कंडी परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज को अनुमोदित किया गया था।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता से पूरी की गई सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ख): वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

योजना का नाम	**वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए)**
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	10,505.31
पीएमकेएसवाई -हर खेत को पानी (एचकेकेपी)-सतही लघु सिंचाई	3,555.90
पीएमकेएसवाई - एचकेकेपी - भूजल विकास	700.34
विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के दीर्घकालिक सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज (विशेष पैकेज)	1,925
राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रि-लाइनिंग, पंजाब	278.05
शाहपुर कंडी परियोजना, पंजाब	196.59

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-22 के दौरान राज्यों को, राज्यों के हिस्से की तुलना में 25,098.43 करोड़ रुपए ब्याज सहायता के साथ नाबार्ड के माध्यम से दीर्घकालिक सिंचाई निधि से लिए गए ऋण के रूप में प्रदान किए गए थे।

(ग): नीति आयोग द्वारा जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजना के मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट शुरू की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी मूल्यांकन किया गया था। उक्त रिपोर्ट दिसंबर, 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस अध्ययन में रिपोर्ट किए गए खराब परियोजना निष्पादन से सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (आईपीयू) के बीच अंतर के कुछ कारणों में कमान क्षेत्र के कार्यों को पूरा न करना, खुली नहर नेटवर्क के माध्यम से आवागमन के दौरान पानी की अधिक क्षति, परियोजना के पूरा होने पर पानी-सघनता फसल पैटर्न पर स्विच करना (विशेष रूप से अंतिम छोर के किसान), दोषपूर्ण डिजाइन, बिना लाइन वाली नहरें, गाद निकालने में कमी, खराब संचालन और वितरण चैनलों और जल प्रयोक्ता संघों का अप्रभावी रखरखाव शामिल है।

***

अनुलग्नक-।

"सिंचाई परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.07.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1845 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

2017-22 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता के लिए शामिल परियोजनाएं

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना**	**केंद्रीय सहायता (करोड़ रूपए)**
प्रधान मंत्री कृषि सिंची योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शामिल परियोजनाओं का विवरण - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
1	असम-बीटीसी	शुक्ला सिंचाई परियोजना का विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	232.62
2	राजस्थान	परवान बहुउद्देशीय परियोजना	733.86
3	महाराष्ट्र	गुरुवर्या स्वर्गीय लक्ष्मणरावजी इनामदार (जीहे कथापुर) लिफ्ट सिंचाई योजना	247.34
4	तमिलनाडु	तमीरापारानी, करुमेनियार और नांबियार नदियों (तमिलनाडु) को आपस में जोड़कर कन्नाडियन चैनल से सथानकुलम, थिसियानविलई के सूखा प्रवण क्षेत्रों में फ्लड कैरियर कैनाल का निर्माण	44.22
5	हिमाचल प्रदेश	नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना	11.41
कुल			**1,269.45**
पीएमकेएसवाई के तहत शामिल परियोजनाओं का विवरण- हर खेत को पानी- भूजल			
1	असम	असम चरण-।	221.46
2		असम चरण-।।	262.81
3	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश चरण-।	40.77

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	केंद्रीय सहायता (करोड़ रूपए)
4		अरूणाचल प्रदेश चरण-।।	40.25
5	गुजरात	गुजरात	98.13
6	नागालैंड	नागालैंड	16.25
7	मणिपुर	मणिपुर	55.51
8	मिज़ोरम	मिज़ोरम	14.44
9	तमिलनाडु	तमिलनाडु	5.48
10	त्रिपुरा	त्रिपुरा चरण-।	11.91
11		त्रिपुरा चरण-।	43.51
12	उत्तराखंड	उत्तराखंड	14.30
13	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	27.82
कुल			**852.64**
पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी-सतही लघु सिंचाई के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं का विवरण			
1	अरुणाचल प्रदेश	(604)/तवांग जिला (16), पश्चिम कामेंग जिला (31), पूर्वी कामेंग जिला (39), पापुमपारे जिला (71), लोअर सुबनसिरी जिला (11), कुरुंग कुमे जिला (7), क्राडाडी जिला (17), कामले जिला (10), अपर सुबनसिरी जिला (40), लोअर सियांग जिला (23), पश्चिम सियांग जिला (39), सियांग जिला (19), पूर्वी सियांग जिला (43), लोअर दिबांग घाटी जिला (25), दिबांग घाटी (21), अंजाव जिला (55), लोहित जिला (23), नामसाई जिला (28), चांगलांग जिला (70), तिरप जिला (14), लोंगडिंग जिला (2)	437.03
2	असम	(100) बीटीसी (कोकराझार (29), चिरांग (25), बक्सा (30), उदलगुरी (16))	450.30
3	हिमाचल प्रदेश	(111)/कांगड़ा (40), मंडी (8), कुल्लू (13), किन्नौर (1), लाहुल स्पीति (2), शिमला (28), सिरमौर (9), सोलन (2), ऊना (2), चंबा (1), बिलासपुर (3), हमीरपुर (2)	304.37

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	केंद्रीय सहायता (करोड़ रूपए)
		(1)/ किन्नौर	5.16
		(1)/मंडी (संधोल तहसील - 5 पंचायत संधोले, सोहर, नेरी, दत्तवार, घनाल्ला))	17.32
		(1)/मंडी (धरमपुर तहसील)	14.67
		(1)/मंडी (धरमपुर-1 तहसील) [बरोटी, मंडप, जोधन क्षेत्र और उनके आसपास के गांवों में]	41.63
		(14)/सुंदर नगर(11), हमीरपुर (3)	341.09
4	मणिपुर	375/(2020-21)	204.03
5	मेघालय	(68)/डब्ल्यूआरडी/पूर्वी खासी पहाड़ियां (5), री-बोइस जिला (9), पश्चिम खासी पहाड़ियां (13), दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ियां (2), पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां (2), पश्चिम जयंतिया पहाड़ियां (5), पूर्वी गारो पहाड़ियाँ (2), पश्चिम गारो पहाड़ियाँ (11), दक्षिण पश्चिम गारो पहाड़ियाँ (14), दक्षिण गारो पहाड़ियाँ (5)	186.21
		(75)/डब्ल्यूआरडी (पूर्वी खासी पहाड़ियां(5), री-बोई (15), पश्चिम खासी पहड़ियां (12), लक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ियां(1), पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां(6), पूर्वी गारो पहाड़ियां(6), उत्तरी गारो पहाड़ियां(8), पश्चिमी गारो पहाड़ियां(9), दक्षिण पश्चिमी गारो पहाड़ियां(3), दक्षिण गारो पहाड़ियां(10))	312.04
6	मिजोरम	(22)/आइजोल (4), चम्फाई (5), कोलासिब (5), लुंगलेई (8)	25.88
		(9) / (आइजोल(1), सेरछिप (1), चम्फाई (2), कोलासिब (2), मामित (2), लुंगलेई (1)	7.66
7	नागालैंड	(270)/फेक (22), किफिर (9), मोकोचुन (25), लोंगलेंग (12), जुन्हेबोटो (13), वोखा (9), कोहिमा (56), पेरेन (26), तुएनसांग (13), मोन (25), दीमापुर (60)	186.17
		(213)/ (फेक (20), किफिर (11), मोकोकचुंग (25), लोंगलेंग (8), जुम्हेबोटो (15), वोखा (15), कोहिमा (12), पेरेन (35), तुएनसांग (20), मोन (19), दीमापुर (33))	119.89
8	सिक्किम	(309) / उत्तर जिला (51), पूर्व जिला (81), दक्षिण जिला (98), पश्चिम जिला (79)	147.19
9	उत्तराखंड	(422)/(देहरादून (126)), टिहरी (24), उत्तरकाशी (27), हरिद्वार (32), पौड़ी (26), चमोली (13), रुद्रप्रयाग (7), नैनीताल (34),	314.44

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	केंद्रीय सहायता (करोड़ रूपए)
		अल्मोड़ा (25), ऊधम सिंह नगर (68), बागेश्वर (1), चम्पावत (11), पिथौरागढ़ (28))	
कुल: 2596			**3,115.08**
विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लंबे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज (विशेष पैकेज)			
1.	महाराष्ट्र	विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लंबे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज (विशेष पैकेज)	**3,831.41**
विशेष परियोजनाएं			
1.	पंजाब	राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग	**982.01**
2.		शाहपुर कंडी परियोजना	**485.38**

****

अनुलग्नक-।।

"सिंचाई परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.07.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1845 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
वर्ष 2017-22 के दौरान पूर्ण हो चुकी 39 परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1	असम	चम्पामती
2	छत्तीसगढ़	मनियारी टैंक
3		खारुंग
4	जम्मू और कश्मीर	राजपोरा लिफ्ट
5		मुख्य रवि नहर का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण
6		त्राल लिफ्ट
7	कर्नाटक	श्री रामेश्वर सिंचाई
8		भीम एलआईएस
9		करंजा
10	मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना चरण-।।
11		इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-। और ।। (0 किमी. से 142 किमी. तक)
12		ओमकारेश्वर परियोजना नहर चरण-IV (ओएसपी लिफ्ट)
13		इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-V (खारगौन लिफ्ट)
14		बाणसागर युनिट 2
15		बरियापुर एलबीसी
16		संजय सागर (बाह) परियोजना

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
17		बारगी डाइवर्जन परियोजना चरण-I (16 किमी. से 63 किमी. तक)
18		माही परियोजना
19		महान परियोजना
20	महाराष्ट्र	डोंगरगांव
21		नंदुर मधमेश्वर चरण-II
22		ऊपरी कुंडलिका
23		निचली दूधना
24		खड़कपूर्णा
25		धौम बालकवाड़ी
26	मणिपुर	दोलाईथाबी बैराज
27	ओडिशा	अपर इंद्रावती (केबीके)
28		रुकुरा-ट्राइब
29		आरईटी सिंचाई
30		तेलंगिरी
31		निचला इंद्र (केबीके)
32	पंजाब	कंडी नहर एक्सटेंशन (चरण-II)
33		प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास
34	राजस्थान	नर्मदा नहर
35		गंग नहर का आधुनिकीकरण
36	तेलंगाना	गोलवागु परियोजना

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
37		रालिवागु परियोजना
38		मथादिवागु परियोजना
39	उत्तर प्रदेश	बाणसागर नहर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी - सतही लघु सिंचाई : 2017-22 के दौरान पूर्ण की गई योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण हो चुकी स्कीम
1.	हिमाचल प्रदेश	85
2.	मेघालय	15
3.	नगालैंड	60
	कुल	**160**

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी - भूजल:
2017-22 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं
1	असम	असम चरण-I
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश चरण-I
3		अरूणाचल प्रदेश चरण-II
4	नागालैंड	नागालैंड
5	मणिपुर	मणिपुर
6	त्रिपुरा	त्रिपुरा चरण-I

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विशेष पैकेज के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से 26 सतही लघु सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

*****